

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्र. (22) बी-1-33-2010-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“3-ख. देशी स्पिरिट की बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया जाना.— (1) देशी स्पिरिट की बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं उसे चलाने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, अपनी स्कीम को उल्लिखित करते हुए, और समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए, आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अवधारित आवेदन फीस के संदाय के प्रमाण स्वरूप कोषालय में जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट या चालन संलग्न होगा.

(3) जब आवेदक की प्रस्तावित स्कीम की वास्तविकता से राज्य सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह मंजूरी प्रदान कर सकेगी और आवेदक को “आशय पत्र” जारी कर सकेगी जो कि संसूचित किए जाने की तारीख से छः मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि उसकी वैधता को बढ़ाया न गया हो. यदि आवेदक मध्यप्रदेश का डी-1 अनुज्ञप्तिधारी है तो आशय पत्र आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा.

- (4) उपनियम (3) के अधीन संसूचित किया गया "आशय पत्र" अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने के लिए कोई अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान नहीं करेगा, और उसके धारक को किसी भी समय ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताओ सूचना देने के पश्चात् और यदि वह ऐसी वांछा करता हो, तो उसकी सुनवाई के पश्चात् लोकहित में प्रतिसंहत या प्रत्याहृत किए जाने योग्य होगा.
- (5) जब उपनियम (4) के अधीन "आशय पत्र" प्रतिसंहत या प्रत्याहृत कर लिया गया हो तो उससे हुई किसी क्षति या हानि के लिए कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा.
- (6) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना "आशय पत्र" का धारक, "आशय पत्र" का विक्रय अंतरण नहीं करेगा या उपपट्टे पर नहीं देगा, अथवा उक्त "आशय पत्र" के अनुसरण में विनिर्माण इकाई का सन्निर्माण करने या उसे चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं करेगा.
- (7) संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के मानचित्र के अनुमोदन के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा.
- (8) उपनियम (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे —
- (एक) "आशय पत्र" की प्रति;
- (दो) संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरों तथा विनिर्माण शाला भवन के मानचित्र, के साथ प्रस्तावित विनिर्माण शाला की परियोजना रिपोर्ट.
- (9) यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने उपनियम (8) की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है तो वह विनिर्माण शाला का संनिर्माण करने और उसे चलाने की परियोजना के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी का अनुमोदन कर सकेगा.
- (10) आवेदक, आबकारी आयुक्त को वह तारीख सूचित करेगा जिसको कि भवन का निर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया हो और उसके साथ किसी अधिनियमिती या लागू नियमों के अधीन किसी स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपेक्षित अधिप्रमाणन या निर्बाधा प्रमाणपत्र संलग्न होंगे.
- (11) यदि आवेदक उपनियम (9) के अधीन आबकारी आयुक्त के अनुमोदन की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर उपनियम (10) में यथाअपेक्षित पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इस प्रकार स्वीकृत किया गया अनुमोदन किसी नुकसान अथवा हानि के लिये क्षतिपूर्ति दिए बिना प्रत्याहृत किए जाने योग्य होगा :
- परन्तु यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि 6 माह की कालावधि के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार निर्माण कार्य तथा संकर्म पूर्ण नहीं कर पाने के लिये पर्याप्त कारण हैं, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी कालावधि तक के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, समय बढ़ा सकेगा.
- (12) जब आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भवन का संनिर्माण और संयंत्र स्थापित करने का काम सभी दृष्टियों से पूर्ण हो गया है तो वह राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अवधारित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए देशी स्पिरिट की बोतल भराई हेतु प्ररूप सी. एस. 1-ख में अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा. अनुज्ञप्ति, अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए, यथोपूर्वोक्त विहित फीस का संदाय करने पर प्रतिवर्ष नवीकृत की जा सकेगी.

- (13) आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना, बोतल भराई इकाई के भवनों या संयंत्रों तथा मशीनरी में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाएगा परन्तु लघु परिवर्तन या परिवर्धन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी आयुक्त को सूचना दी जाकर किए जा सकेंगे.
- (14) अनुज्ञप्तिधारी, जब अपेक्षित हो, अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों के सम्यक् अनुपालन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर नियत प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा.
- (15) आबकारी आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति का आडमान (हाईपोथीकेट) विक्रय, बंधक, अंतरण या उपपट्टा नहीं करेगा अथवा इस अनुज्ञप्ति को चलाने के लिए कोई भागीदारी नहीं करेगा, और ऐसी अनुमति, यदि स्वीकृत की जाती है, तो उसे अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया जायेगा.

3-ग. देशी स्पिरिट की बोतल भराई और उसके भण्डारण के लिये परिशोधित स्पिरिट का प्राप्त किया जाना —

- (1) प्ररूप सी. एस. 1-ख में अनुज्ञप्तिधारण करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी स्पिरिट तैयार करने के लिए डी-1 आसवनी अनुज्ञप्तिधारी से परिशोधित स्पिरिट प्राप्त करेगा. डी-1 अनुज्ञप्तिधारी से परिशोधित स्पिरिट लाने का आशय रखने वाला सी. एस. 1-ख अनुज्ञप्तिधारी परिवहन शुल्क, यदि कोई हो, अपने जिले में जमा करेगा और डी-1 अनुज्ञप्ति के भारसाधक अधिकारी से प्ररूप सी. एस. 5 में परिवहन अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् डी-1 अनुज्ञप्तिधारी से अपने अनुज्ञप्त परिसर में परिशोधित स्पिरिट का परिवहन करेगा.
- (2) स्पिरिट भण्डारण एवं न्यूनीकरण के सभी कुंड एवं पात्र ऐसी गुणवत्ता, आकार, आकृति एवं सामग्री के होंगे जो आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित हों. वे यथोचित रूप से मापित होंगे और उनकी माप सारणी प्राधिकृत आबकारी अधिकारी द्वारा तैयार की जावेगी. अनुज्ञप्तिधारी मानकीकृत मापनदण्ड (गेजिंग रॉड) आदि की व्यवस्था करेगा और उपरोक्त वर्णित कुंडों एवं पात्रों के मापन कार्य में सहायता करेगा, अमापित कुण्डों एवं पात्रों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध होगा.
- (3) प्रत्येक कुंड या पात्र पर उसका क्रमांक, क्षमता और उपयोग जिसके लिये उसे प्रयुक्त किया जाता हो, सुपाठ्य रूप से अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में पेंट से लिखा जाएगा और उसके ब्यौरों को भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित रूप से रजिस्टर में अंकित किया जाएगा.
- (4) भण्डारण एवं न्यूनीकरण कुंड ऐसे कमरे अथवा भवन में रखे जाएंगे जिसमें केवल एक ही द्वार हो, ऐसा कमरा या भवन "स्पिरिट कक्ष" के नाम से निर्दिष्ट होगा तथा उसे राजस्व ताले से सुरक्षित रखा जाएगा.

3-घ गुणवत्ता नियंत्रण— (1) देशी स्पिरिट की बोतल भराई में प्रयुक्त समस्त स्पिरिट आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित मानक एवं गुणवत्ता की होगी.

- (2) स्पिरिट का भण्डारण करने, सम्मिश्रण करने, न्यूनीकरण करने, परिपक्व करने तथा सम्मिश्रण करने के सभी पात्र स्वच्छ रखे जाएंगे. उपभोग में लाया गया पानी शुद्ध और पीने योग्य होगा. भण्डारित स्पिरिट में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक कोई भी संघटक मिलाया नहीं जाएगा. स्पिरिट के सम्मिश्रण के लिए उसको रंगने सुरस, सुगन्धित करने के कारक आदि अच्छी गुणवत्ता के मानव उपभोग के योग्य होंगे तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे.
- (3) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में, अपनी निजी प्रयोगशाला स्थापित करेगा. ऐसी प्रयोगशाला उपकरणों से सुसज्जित होगी, जिसमें अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्ति होंगे, तथा इस पर उपगत व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा, बोतल भराई के पूर्व बोतल भराई के लिए तैयार एवं विनिर्मित देशी स्पिरिट की प्रत्येक खेप (बैच) के नमूने का, प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा. जब नमूने की देशी स्पिरिट मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाई जाए तभी खेप (बैच) जारी करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे प्रत्येक रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट की एक अभिप्रमाणित छायाप्रति भारसाधक अधिकारी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. विनिर्माण इकाई (मैन्युफेक्चरी) के भारसाधक के पर्यवेक्षण में और उपस्थिति में नमूनों को निकाला जाएगा.

(4) (क) बोतल भराई इकाई का भारसाधक अधिकारी, आबकारी आयुक्त का आदेश होने तक ऐसी देशी स्पिरिट का जिसे वह अच्छी गुणवत्ता की नहीं समझता हो, जारी किया जाना रोक सकेगा, और प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी स्पिरिट या देशी स्पिरिट के नमूनों को विभागीय प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्राधिकृत प्रयोगशाला में अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर रासायनिक परीक्षण या जांच के लिये भेजने हेतु ले सकेगा।

(ख) आबकारी आयुक्त बोतलों में भरी जा चुकी देशी स्पिरिट के बेतरतीब (रेंडम) नमूने लिए जाने के भी निदेश दे सकेगा तथा इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निदेशों के अनुसार भारसाधक अधिकारी नमूने प्राप्त करेगा तथा उनको विभागीय या प्राधिकृत प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण या जांच हेतु भेजेगा।

(ग) स्पिरिट या देशी स्पिरिट रासायनिक विश्लेषण या जांच में, अवमानक स्तर की या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो आबकारी आयुक्त या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेशों के अधीन अस्वीकृत और नष्ट कर दी जाएगी या किसी रीति में निराकृत की जाएगी. ऐसे मामलों में आबकारी आयुक्त पुनःआसवीकरण के लिए अनुज्ञा भी दे सकेगा।

3-ड देशी स्पिरिट की बोतल भराई.— (1) देशी स्पिरिट की बोतलों की भराई से संबंधित समस्त संक्रियाएं का संचालन भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा. बोतल बंद देशी स्पिरिट को एक कक्ष पृथक या कक्षों में भण्डारित किया जाएगा. जिसे “बोतल बंद स्पिरिट का भण्डार” कहा जाएगा, जिसे राजस्व ताले से सुरक्षित रखा जाएगा.

(2) भरी गई देशी स्पिरिट ऐसी शक्ति की होगी जैसी कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए तथापि बोतलों में भरी गई देशी स्पिरिट के लिए, इस पर चिपकाए गए लेबल पर घोषित प्रूफ शक्ति से एक डिग्री तक का विचलन मार्जिन, अनुज्ञात किया जाएगा.

(3) देशी स्पिरिट की प्रत्येक भरी हुई बोतल पर भण्डार में अंतरित करने के पूर्व समुचित रूप से ढक्कन लगाया जाएगा तथा सील बंद किया जाएगा.

(4) अनुज्ञप्तिधारी देशी स्पिरिट भरने के पश्चात् प्रत्येक बोतल पर नियम 3-च में प्रगणित समस्त विवरणों को दर्शाते हुए, आबकारी आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकृत लेबल चस्पा करेगा. अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक बोतल पर, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा आदेशित होलोग्राम चस्पा करेगा.

3-च. नामपत्रों (लेबल्स) का रजिस्ट्रीकरण.— (1) कोई भी देशी स्पिरिट मध्यप्रदेश से परिवहित नहीं की जाएगी, आयात तथा निर्यात नहीं की जाएगी, जब तक कि निम्नलिखित लेख तथा ब्यौरे देशी स्पिरिट की बोतलों पर चस्पा लेबल पर न छपें हों :-

(क) मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

(ख) विनिर्माण की तारीख, माह एवं वर्ष

(ग) विनिर्माता का नाम

(घ) विनिर्माण का नाम एवं स्थान

(ङ) अल्कोहल की मात्रा तथा प्रूफ शक्ति (स्ट्रेंथ)

(च) मात्रा सहित नामपत्र (लेबल) का नाम

(छ) नामपत्र (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

(ज) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिदेशित न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य

(झ) नामपत्र (लेबल) न्यूनतम 60 जीएसएम का और अर्ध चमकीली/एक तरफ से चमकीला होना चाहिए

(ञ) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिदेशित अन्य जानकारियां

- (2) आबकारी आयुक्त द्वारा उपनियम (3) और (4) के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई देशी स्पिरिट की ऐसी बोतलें मध्यप्रदेश में विक्रय की जाएंगी, परिवहित की जाएंगी, आयात की जाएंगी या मध्यप्रदेश से निर्यात की जाएगी, जिनके नामपत्र पर उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट उपाख्यान/ब्यौरे दर्शाए गए होंगे :

परन्तु बोतल भराई की प्रत्येक इकाई हेतु रजिस्ट्रीकृत नामपत्रों (लेबिल्स) प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से नवीकृत करवाए जाएंगे. प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए वार्षिक नवीकरण शुल्क उतना होगा जितना कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए. किसी विनिर्माता द्वारा किसी नामपत्र (लेबल) का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे सम्यकरूप से रजिस्ट्रीकृत या नवीकृत नहीं करवाया गया हो.

- (3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्र (लेबल) के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित शुल्क के साथ आबकारी आयुक्त को एक आवेदन दिया जाएगा. आवेदन के साथ, आबकारी आयुक्त द्वारा यथावांछित, रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले नामपत्र (लेबल) की 60 प्रतियां तथा विहित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के संदाय के सबूत के तौर पर जिला कोषालय में जमा किया गया चालान संलग्न किया जाएगा. नामपत्र (लेबल) के प्ररूप में उपनियम (1) में उल्लिखित ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे. नामपत्र/नामपत्रों के नवीकरण के लिए, आवेदन विहित शुल्क के चालान के साथ पूर्व के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के ब्यौरे उल्लिखित करते हुए चालू वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा.
- (4) आबकारी आयुक्त, नामपत्र/नामपत्रों (लेबिल्स) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह इसे रजिस्टर कर सकेगा.
- (5) उपनियम (1) में यथापूर्वोक्त किसी नामपत्र (लेबल) पर अश्लील दिखने वाली या किसी विशिष्ट वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली या किसी समूह, समुदाय या संस्था की भावनाओं या आत्म-सम्मान को उपहति पहुंचाने वाली कोई आकृति, प्रतीक, चित्र अधिचिन्ह आदि नहीं होंगे. किसी विवाद की दशा में कि क्या कोई नामपत्र (लेबिल) के अश्लील, घृणोत्पादक या उपहतिकारक है, मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा. ”.

2. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—“7 देशी स्पिरिट की बोतल भराई के लिए देशी स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट का आयात—नीचे यथावर्णित अभिप्रास किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र और/या जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय देशी स्पिरिट का मध्यप्रदेश में आयात नहीं किया जाएगा :—

- (एक) सी. एस. 1-ग/सी.एस.1-ख अनुज्ञप्तिधारियों को देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथाअवधारित आयात शुल्क का पूर्व संदाय करने पर प्रदान किया जा सकेगा. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्ररूप सी. एस. 8 में होगा;
- (दो) देशी स्पिरिट के केवल उन्हीं नामपत्रों (लेबल्स) के आयात की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी जो नियम 3-च के अधीन आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत है.
- (तीन) आयातकर्ता, आबकारी आयुक्त या उस जिले के, जिसमें कि आयात किया जाना है, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन करेगा. आवेदन में सुसंगत ब्यौरे अर्थात् आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के स्थान पर उसके अभिकर्ता का नाम, पता स्पिरिट की मात्रा, प्रकार और अल्कोहलिक शक्ति, आयात का प्रयोजन, इकाई जहां से वह आयात की जाएगी, उसके अनुज्ञप्त परिसर की अवस्थिति जहां आयात की गई स्पिरिट ले जाई जाएगी, नामपत्र (लेबल) के रजिस्ट्रीकरण क्रमांक आदि दिए जाएंगे.

- (चार) आयातकर्ता, यह दर्शाने के लिए कि उसने राज्य सरकार द्वारा विहित की गई दर से आयात शुल्क का पूर्व भुगतान अपने जिले के कोषालय में कर दिया है, अपने आवेदन के साथ चालान संलग्न करेगा;
- (पांच) आबकारी आयुक्त या आयातक जिले का सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी या प्राधिकृत आबकारी अधिकारी, आवश्यक जांच और स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रमाण पत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है, प्ररूप सी. एस. 8 में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान और जारी कर सकेगा;
- (छह) खण्ड (पांच) के अधीन प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में होगा. भाग एक जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा. भाग दो उस अधिकारी को डाक द्वारा भेजा जाएगा जो निर्यात प्राधिकृत करेगा और भाग तीन आवेदक को सौंपा जाएगा;
- (सात) निर्यातक जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए वैध निर्यात पास के प्राधिकार पर ही समस्त आयात किया जाएगा. आयातक द्वारा ऐसे निर्यात पास के समस्त निबंधनों और शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.”.

3. नियम 9 में,—

(एक) उपनियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) प्ररूप सी. एस. 1-ख और एस. सी. 1-ग में, अनुज्ञप्तियां राज्य सरकार द्वारा अधिकथित दिशा-निर्देशों के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाएंगी.”.

(दो) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) बोटल भराई तथा थोक प्रदाय की अनुज्ञप्तियां निम्नलिखित प्रवर्गों की होंगी और इन अनुज्ञप्तियों को मंजूर करने की रीति, इसके नीचे उपदर्शित किए गए अनुसार होगी :—

(क) सी. एस. 1-ख (बोटल भराई अनुज्ञप्ति).— सी. एस. 1-ख अनुज्ञप्तिधारक, जिसे देशी स्पिरिट की बोटल भराई की अनुज्ञप्ति दी जाए, परिशोधित स्पिरिट की तेजी कम करके, रंगीन व सुगंधित करके देशी स्पिरिट की बोटल भराई कर सकेगा. अनुज्ञप्तिधारी देशी स्पिरिट का देशी स्पिरिट के भांडागार को अन्तरण कर सकेंगे. भाण्डागार से देशी स्पिरिट का विक्रय फुटकर विक्रेताओं को किया जाएगा.

(ख) सी. एस. 1-ग-बाहरी (आउट साइड विनिर्माता की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति).—यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश के बाहर देशी स्पिरिट का विनिर्माण करने के लिए समुचित अनुज्ञप्तिधारक करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाएगी. यह अनुज्ञप्ति केवल संभागीय मुख्यालयों जैसे इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर तथा रीवा पर दी जा सकेगी. ऐसी अनुज्ञप्ति उक्त एक या अधिक संभागों के लिए दी जा सकेगी. अनुज्ञप्तिधारी को केवल उन नामपत्रों (लेबल्स) की देशी स्पिरिट का शुल्क का भुगतान किए बिना आयात/स्टॉक करने की अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश के बाहर समुचित अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की जा रही है तथा जो नियम 3-च के अधीन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पास रजिस्ट्रीकृत है, वह अपने स्टॉक को देशी स्पिरिट के भांडागार में भण्डारण करने तथा वहां से फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना अंतरण करेगा.

(4) अनुज्ञप्तियों की कालावधि तथा उनका नवीकरण.—प्ररूप सी. एस. 1-ख एवं सी. एस. 1-ग में अनुज्ञप्तियां, राज्य सरकार द्वारा नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस का, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी, पूर्व में संदाय कर दिए जाने पर एक वर्ष के लिए प्रदान की जा सकेगी. इन अनुज्ञप्तियों का, विहित शुल्क का भुगतान करने पर, अनुज्ञप्तिधारी के अच्छे आचरण तथा स्वच्छ रिकार्ड और अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के अध्याधीन रहते हुए, प्रतिवर्ष नवीकरण कराया जा सकेगा.”.

4. नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11-क अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय करेगा.— (1) सी. एस. 1-ख अथवा सी. एस. 1-ग अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से पर्यवेक्षण कार्य के लिए पदस्थ आबकारी कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा अन्य दावों पर उपगत व्यय को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से पर्यवेक्षण प्रभारों का, अग्रिम संदाय करेगा.

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित पर्यवेक्षण प्रभार देशी स्पिरिट भांडागार पर, फुटकर देशी स्पिरिट जारी करते समय फुटकर विक्रेता से प्रभारित किया जाएगा.”.

5. सी. एस.-1-क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

**“प्ररूप सी. एस.-1-ख
बोतल भरने की अनुज्ञप्ति**

मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 9(2)(क) के अधीन और अनुज्ञप्ति फीस रुपये (शब्दों में) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, नगर जिले में स्थित, जो नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है श्री को, तेजी कम करके तथा सुगन्धित व रंगीन करके देशी स्पिरिट को बोतल में भरने के लिए से तक, एतद्द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :—

शर्तें

1. बोतल भराई संबंधी समस्त संक्रियाओं का संचालन आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शा (मेप) तथा योजना जो कि इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न है के अनुसार में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में ही किया जाएगा.
2. अनुज्ञप्तिधारी बोतल भराई का कार्य भारसाधक अधिकारी को, सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए, पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा.
3. अनुज्ञप्तिधारी देशी स्पिरिट भराई हेतु स्पिरिट डी-1 डिस्टिलरी अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त करेगा, या उस प्रयोजन हेतु स्वीकृत अनुमति में सम्मिलित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसका आयात करेगा.
4. सम्मिश्रित संक्रिया (आपरेशन) में भरी गई समस्त देशी स्पिरिट को एक ही खेप क्रमांक (बैच नंबर) दिया जायेगा और उसे तत्काल, बोतलों में भरकर, सीलबंद नामपत्र (लेबल) चस्पा कर दिया जाएगा.
5. अनुज्ञप्तिधारी केवल आबकारी आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल का प्रयोग करेगा जो बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्रों (लेबल्स) पर मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-च में दिए गए ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे.
6. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण की प्रक्रिया में केवल स्वच्छ एवं पीने योग्य जल का उपयोग करेगा.
7. अनुज्ञप्तिधारी देशी स्पिरिट की भराई में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा.

8. देशी स्पिरिट से भरी पेटियां नामपत्रवार (लेबल्स वाइज) और बोतल आकारवार तथा व्यवस्थित रूप से गड़्डी लगाई जाएगी और एक दूसरे से पृथक्-पृथक् स्टॉक की जाएगी.
9. अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार कक्षों के मध्य और दीवारों के साथ-साथ देशी स्पिरिट के भंडार के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा.
10. अनुज्ञप्तिधारी नामपत्रवार (लेबल वाइज) भरी गई और विक्रय की गई देशी स्पिरिट का सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा.
11. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 8, 14, 16, 25, 26, 27, 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा.
12. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी.

तारीख.....

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

अनुसूची

| स्थल का वर्णन | अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं | | | |
|---------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| | उत्तर | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

प्ररूप सी. एस.-1-ग

(बाहरी विनिर्माणकर्ता की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति)

मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 9(2)(ख) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रुपये (शब्दों में) जिसका पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, के प्रतिफल में यह अनुज्ञप्ति श्री को नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित किए गए नगर..... जिला..... में स्थित, अनुज्ञप्त परिसरों से देशी स्पिरिट बोतलों की थोक में आपूर्ति तथा विक्रय करने हेतु सेतक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए एतद्वारा स्वीकृत की जाती है.

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यकता केवल आयात द्वारा उपास करेगा.
2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन केवल उन्हीं नामपत्रों (लेबल्स) या ब्रांड वाली स्पिरिट का आयात किया जाएगा जो मध्यप्रदेश के बाहर स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित तथा बोतल बंद (बाटल्ड) की गई है और जो इन नियमों के नियम 3-च के अधीन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा रजिस्ट्रीकृत है.
3. अनुज्ञप्तिधारी, अपने भण्डार (स्टॉक) का प्रदाय केवल देशी स्पिरिट भांडागार को करेगा.
4. वह अपने द्वारा विनिर्मित देशी स्पिरिट का आयात, विहित आयात फीस के संदाय के पश्चात् करेगा.
5. अनुज्ञप्तिधारी आयात किए गए भण्डार के सभी अनुज्ञापत्र तथा बीजक उचित अनुक्रम में परिरक्षित करेगा तथा उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा.
6. देशी स्पिरिट के बक्से (कार्टन) नामपत्र वार (लेबल वाइज) अनुसार, बोतल के आकारवार व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध तथा थप्पियों में एक दूसरे से पृथक्-पृथक् स्टॉक किए जाएंगे.
7. अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार कक्ष के मध्य और दीवारों के साथ-साथ, देशी स्पिरिट के भण्डार के सत्यापन और मुक्त आवागमन के लिए पैकेज रहित सुगम गलियारा (पैसेज) छोड़ेगा.
8. अनुज्ञप्तिधारी, केवल अनुज्ञप्त परिसर से ही कारोबार का संचालन करेगा. आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा.
9. अनुज्ञप्तिधारी, आयात की गई, स्टॉक की गई एवं विक्रय की गई समस्त देशी स्पिरिट का नामपत्र वार (लेबल वाइज) तथा बोतल के आकार के अनुसार सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा.
10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा.
11. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम के उपबंध या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का भंग होने पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित की जा सकेगी.

तारीख
स्थान

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

अनुसूची-1

| स्थल का विवरण | अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं | | | |
|---------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| | उत्तर | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

अनुसूची-2

| अनुक्रमांक (1) | विनिर्माता/बोतल भरने वाले के पूर्ण पते सहित पूरी विशिष्टियां (2) | ऐसे विनिर्माता/बोतल भरने वाले द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का स्वरूप (3) | प्रदेश जिसमें वह कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति धारण करता है (4) |
|-------------------|---|--|---|
|-------------------|---|--|---|

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश''.

6. प्ररूप सी. एस. 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित, किया जाए, अर्थात् :-

“प्ररूप सी. एस. 8
(देखिए नियम 7)

क्रमांक

दिनांक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(तीन प्रतियों में)

भाग एक : (जारी करने वाले कार्यालय में अभिलेख के लिए रखा जाएगा)
भाग दो : (प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जो निर्यात को प्राधिकृत कर सके)
भाग तीन : (आवेदक को सौंप दिया जाएगा)

प्रति,
.....
.....

विषय.—शुल्क का संदाय किए बिना देशी स्पिरिट/देशी स्पिरिट विनिर्माण के लिए, परिशोधित स्पिरिट के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र.

श्रीजो मध्यप्रदेश के जिले के सी. एस. 1-ग/सी.एस. 1-ख अनुज्ञप्तिधारक हैं, आपके जिले के श्री अनुज्ञप्तिधारक से देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट प्रूफ/बल्क लीटर आयात करने का आशय रखते हैं और उस मात्रा पर आयात शुल्क के रूप में रुपये चालान क्रमांक तारीख..... द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं. यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी. यह अनापत्ति प्रमाण पत्रतक वैध रहेगा.

सहायक आबकारी,
आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी,
.....(मध्यप्रदेश)''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर. के. यादव, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2010

क्र. (22) बी-1-33-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (22) बी-1-33-2010-2-पांच, दिनांक 12 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th November, 2010

(22) F. No.-B-1-33-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After rule 3-A, the following rules shall be inserted, namely:—

"3-B **Grant of Licence for Bottling of Country Spirit.**—(1) A person intending to construct and run a bottling unit of country spirit shall make an application to the State Government through the Excise Commissioner, mentioning his scheme and giving all relevant details.

(2) An application made under sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft or a Challan deposited into the treasury in token of payment of application fee as determined by the State Government from time to time.

(3) The State Government may, if satisfied about the bonafides of the proposed scheme of the applicant, accord sanction and issue a "Letter of Intent" which shall be valid for six months from the date of communication, unless its validity is extended. If the applicant is a D-1 licence holder of Madhya Pradesh, the letter of intent shall be issued by the Excise Commissioner, Madhya Pradesh.

(4) The "Letter of Intent" communicated under sub-rule (3) shall not confer any right of privilege for grant of a licence and is liable to be revoked or withdrawn at any time in public interest after giving its holder a notice to show cause against such action and after giving him an opportunity of hearing, if he so desires.

(5) No compensation for any damage or loss shall be payable when a "Letter of Intent" is revoked or withdrawn under sub-rule (4).

(6) The holder of "Letter of Intent" shall not sell transfer of sub-lease it or enter into any arrangement with any other person for the construction or working of manufactory in pursuance of the said "Letter of Intent" without the previous sanction of the State Government.

(7) An application, for approval of the plant and machinery and map of the building, shall be submitted to the Excise Commissioner.

(8) Every application referred to in sub-rule (7) shall be accompanied by—

(i) copy of the "Letter of Intent";

- (ii) project report of the proposed manufactory along with details regarding the plant and machinery and map of the manufactory building.
- (9) The Excise commissioner may, if satisfied that the applicant has fulfilled the requirements of sub-rule (8), approve the map, plant and machinery of the project for the construction and working of the manufactory.
- (10) The applicant shall report to the Excise Commissioner, the date on which the construction of the building and erection of the plant and machinery are completed, along with certificates or authorizations or clearances required from local body. Town and Country Planning Department, Madhya Pradesh Pollution control Board and any other Department of the State Government, under any enactment or rules in force.
- (11) In case the applicant fails to submit the completion report as contemplated in sub-rule (10) within a period of six months from the date of approval by the Excise Commissioner under sub-rule (9), the approval so granted, shall be liable to be withdrawn without compensation, for any damage or loss:
- Provided that, if the Excise Commissioner is satisfied that there is sufficient cause for not constructing and completing the works as per approval plan within the period of six months, he may for reasons to be recorded in writing, grant extension of time for such period, as he may deem fit.
- (12) When the Excise Commissioner is satisfied that the construction of the building and erection of the plant and machinery are complete in all respects, he may, grant a licence for bottling of country spirit in Form C.S. 1-B for a period of one year, on payment of such annual licence fee as determined by the State Government from time to time. The licence may be renewed every year on payment of the prescribed fee as aforesaid, subject to due observance of the provisions of the Act, and rules made thereunder and conditions of the licence.
- (13) No alteration or addition shall be made, without the prior permission of the Excise Commissioner, in or to the buildings of the bottling units or the plant and machinery provided that minor additions or alterations may be made by the licensee under intimation to the Excise Commissioner.
- (14) The licensee shall furnish, when required, security fixed by the Excise Commissioner from time to time, for due observance of the provisions of the Act, rules made and orders issued thereunder.
- (15) The licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer or sub-lease the licence or enter into any partnership for the working of the licence, without the previous permission in writing of the Excise Commissioner, and such permission, if granted, shall be endorsed on the licence.

3-C. Procurement of Rectified Spirit for bottling of Country Sprit and Storage thereof—(1) A licensee holding a licence in Form C.S.1-B shall procure Rectified spirit for the preparation of country spirit from a D-1 Distillery licensee. The C.S.1-B licensee intending to bring rectified spirit from a D-1 licensee, shall deposit transport fee, if any in his district and transport rectified spirit to his licensed premises from a D-1 licensee after obtaining a transport permit in Form C.S. 5 from the officer in charge of D-1 licence.

- (2) All spirit storage and reduction vats and vessels shall be of such quality, size, shape and material as approved by the Excise Commissioner, They shall be properly gauged and their gauging table shall be prepared by the authorized Excise Officer. The licensee shall provide Calibrated gauging rods etc. and assist in gauging of the aforesaid vats and vessels. Use of ungauged vats and vessels shall be totally prohibited.

- (3) Each vat or vessel shall have legibly painted on it in English or in Hindi, its number, capacity and the use to which it is applied and its details shall be properly registered by the Officer-in-Charge.
- (4) Storage and reduction vats shall be kept in a room or building provided with only one door. Such room of building shall be designated as the Spirit Room and shall be kept under revenue lock.

3-D. Quality Control.

- (1) All spirit used in the bottling of country spirit shall be of such standard and quality as specified or approved by the Excise Commissioner.
- (2) All the containers for storing, blending, reducing, maturing and compounding the spirit shall be kept clean. Water used shall be pure and potable. No ingredient noxious to health shall be added to the spirit stored. The colouring, flavouring, essencing, agents etc. used for compounding the spirit, shall be of good quality, fit for human consumption and not deleterious to health.
- (3) The licensee shall have to establish his own laboratory within the licensed premises. Such a laboratory shall be well equipped, manned by qualified technical personnel and the expenditure incurred on it shall be borne by the licensee. Sample to every batch of country spirit manufactured and ready for bottling shall be analyzed in the laboratory before it is bottled. The issue of a batch shall be allowed only when the sample of country spirit is found fit for human consumption. An attested photocopy of every such chemical-analysis or test report shall be provided to the officer-in-charge free of cost. The samples shall be drawn under the supervision of and in the presence of officer-in-charge of the manufactory.
- (4) (a) The Officer-in-charge of the bottling unit may stop, pending the order of the Excise Commissioner, issue of country spirit which he considers not of good quality and may, on every such occasion take samples of such spirit or country spirit at the cost of the licensee for sending them for chemical analysis or test to the departmental laboratory or any other authorized laboratory.
- (b) The Excise Commissioner may also direct taking of samples at random of bottled country spirit and the Officer-in-charge shall draw samples in accordance with the directions issued by the Excise Commissioner in this regard and send them to the departmental or authorized laboratory for chemical analysis or test.
- (c) Spirit or country spirit, found sub-standard or unfit for human consumption on chemical analysis or test, shall be rejected and destroyed or disposed of in any manner under the orders of the Excise Commissioner or an officer authorized by him for the purpose. The Excise Commissioner may also permit redistillation in such cases.

3-E. Bottling of Country Spirit.

- (1) All operations relating to the filling of bottles with country spirit shall be conducted under the supervision of the officer-in-charge. Bottled country spirit shall be stored in a separate room or rooms called the 'Store for bottled liquor' which shall be secured with a revenue lock.
- (2) Country spirit bottled will be of such strength as specified by the Excise Commissioner from time to time. However for bottled country spirit, a deviation margin up to I degree, from the proof strength declared on the label glued to it, will be permitted.
- (3) Every bottle of country spirit shall be properly capped and sealed before being transferred to the store.

- (4) The licensee shall paste a label registered with the Excise Commissioner, displaying all the particulars enumerated in rule 3-F to every bottle after filing it with country spirit. The licensee shall affix a hologram, as ordered by the Excise Commissioner, on every bottle.

3-F. REGISTRATION OF LABELS

- (1) No country spirit shall be transported, imported into and exported from Madhya Pradesh, unless the following legends and details are printed on the labels pasted to the bottles of country liquor:—
- (a) Consumption of liquor is injurious to health.
 - (b) Date, month & year of manufacture.
 - (c) Name of manufacturer.
 - (d) Name & place of manufacture.
 - (e) Alcoholic contents and proof strength.
 - (f) Name of label with contents.
 - (g) Registration No. of label.
 - (h) Minimum and maximum selling price as directed by the Excise Commissioner.
 - (i) Label should be of minimum 60 GSM and be semi glazed/one-side glazed.
 - (j) Other informations as directed by the Excise Commissioner.
- (2) Only such bottles of country liquor with labels showing legends/details as specified in sub-rule (1) duly registered with the Excise Commissioner in accordance with sub-rule (3) and (4) may be sold in, transported within, imported into or exported from Madhya Pradesh:

Provided that the labels registered for each bottling unit shall be compulsorily renewed every year. Annual renewal fees for each label shall be such as may be determined by the State Government from time to time. No label shall be used by any manufacturer unless it has been duly registered or renewed.

- (3) Licensee shall make an application to the Excise Commissioner for registration/renewal of label/labels alongwith the fee as determined by the State Government from time to time for each kind of label. As desired by the Excise Commissioner, 60 copies of the label to be registered and a challan in proof of payment of the prescribed registration fee, deposited in the treasury of the district shall be enclosed alongwith the application. The format of the label shall contain the details mentioned in sub-rule(1). An application for renewal of label/labels shall be filed along with the challan of prescribed fee before the end of current year mentioning details of prior registration and renewal.
- (4) On receipt of application for registration of label/labels, the Excise Commissioner may make such enquiry as he deems proper, if he satisfied that the condition specified in above sub-rules have been complied with and there is no objection to such registration, he may register it.
- (5) A label as aforesaid in sub-rule (1) shall not have any figure, symbol, picture, insignia, etc, that looks obscene or that may offend the religious feeling of any particular class or hurts the sentiments or pride of any group, community or institution. In case of a dispute whether a label is obscene offensive or hurtful, the matter shall be referred to the Excise Commissioner and his decision thereon shall be final and binding."

2. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Import of Country Spirit or Rectified Spirit for bottling of Country spirit.—No country spirit shall be imported into Madhya Pradesh except under and in accordance with a no objection certificate and/ or a permit to be obtained or issued as described below:—

- (i) No objection certificate for the import of country spirit/rectified spirit may be granted to C.S.1-C/C.S.1-B licensees on prepayment of import fee as determined by the State Government from time to time. No objection certificate shall be in Form C. S. 8;
- (ii) Import of only those labels of country spirit shall be permitted which are registered with the Excise Commissioner under rule 3-F;
- (iii) The importer shall apply to the Excise Commissioner or Assistant Commissioner Excise/ District Excise Officer of the importing district. The relevant details i.e. the name, address of the importer and his agent at the place of export, quantity, description and alcoholic strength of the liquor, the purpose of import, the unit whence it shall be imported, the location of his licensed premises whereto the imported country spirit shall be transported, registration number of the label, etc. shall be given in the application;
- (iv) The importer shall attach to his application challans indicating that he has prepaid import fee, at the rate prescribed by the State Government in the treasury of his district;
- (v) The Excise Commissioner or Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer or the authorized Excise Officer of the importing district, may, after making necessary enquiries and satisfying himself that there is no objection to the issuance of the certificate, grant and issue a No Objection Certificate in Form C. S. 8;
- (vi) The No Objection Certificate granted under clause (v) shall be in triplicate. Part I shall be retained in the office of issue. Part II shall be mailed to the authority who may authorize the export and Part III shall be handed over to the applicant;
- (vii) All importation shall be done on the authority of a valid export pass granted by the competent authority of the exporting district. All the terms and conditions of such export pass shall be strictly adhered to, by the importer."

3. In rule 9,—

- (i) In sub-rule (2), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely :—
- “(c) Licences in Forms C. S. 1-B and C. S. 1-C shall be granted by the Excise Commissioner as per the guidelines laid down by the State Government.”;
- (ii) after sub-rule (2), the following new sub rules shall be inserted, namely :—
- “(3) The bottling and wholesale supply licenses shall be of the following categories and the mode of grant of these licences shall be as indicated hereunder :—

 - (a) **C. S. 1-B (Bottling Licence).**—Holder of an C. S. 1-B licence which may be granted for bottling of country spirit, may bottle country spirit by reducing colouring and essencing rectified spirit. The licensee may transfer country spirit to country spirit warehouses. The country spirit would be sold from warehouse to the retailers.

- (b) **C. S. 1-C (Outside Manufacture's Central Godown Licence).**—This licence shall be granted to a licensee holding an appropriate licence for the manufacture of country spirit outside Madhya Pradesh. This licence may be granted at the divisional headquarters only i.e. Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Ujjain, Sagar and Rewa. Such licence may be granted for one or more said divisions. The licensee shall be permitted to import/stock without payment of duty only those labels of country spirit that are being manufactured outside Madhya Pradesh under an appropriate licence and which are registered with the Excise Commissioner Madhya Pradesh under rule 3-F. He shall transfer his stock without payment of duty to the country spirit warehouses for being stored therein and sold to retailers therefrom.

4. Period of licences and their renewal,—Licences in Forms C. S. 1-B and C. S. 1-C may be granted for one year on prepayment of licence fee fixed by the State Government which may be revised from time to time. these licenses will be subject to renewal every year on payment of the prescribed fee, subject to good conduct and clean records of the licensee and due observance of licence conditions, provisions of Act and rules made thereunder.”.

4. After rule 11, the following rule shall be inserted, namely :—

“**11-A Licensee to pay Supervision Charges.**—(1) The C. S. 1-B or C. S. 1-C licensee shall pay, in advance, supervision charges at the rate determined by the State Government from time to time to defray in full or part of the expenditure incurred on the salary and other claims of the Excise staff posted exclusively for supervision work therein.

- (2) Supervision charges, as determined by the State Government from time to time shall be charged at country spirit warehouse from the retailer at the time of issue of country spirit.”.

5. After Form C. S. 1-A, the following Forms shall be inserted, namely :—

“FORM C. S. 1-B
BOTTLING LICENCE

Under rule 9 (2) (a) of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in consideration of licence fee of Rs.(in words.....) which has already been paid, this licence is hereby granted to for reducing, essencing, colouring and bottling country spirit at the premises described in the schedule below and situated intown of District from to..... subject to the following conditions :—

CONDITIONS

1. All operations relating to bottling shall be conducted at the licensed premises situated at as per the map and plan approved by the Excise Commissioner and enclosed with this licence.
2. The Licensee shall not effect bottling operations without prior notice, incorporating the relevant details, to the officer-in-charge.
3. The licensee shall procure spirit for bottling country spirit from a D-1 distillery licensee or by import as per the terms and conditions incorporated in the permission granted for the purpose after payment of the prescribed fee.
4. All country spirit bottled in one blending operation shall be given the same batch number and shall be bottled, sealed and labelled immediately.
5. The licensee shall use only such labels as are registered with the Excise Commissioner. The labels pasted on the bottles shall specify the details given in rule 3-F of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995.

6. The licensee shall use only clean and potable water in the process of manufacture.
7. The licensee shall not use any ingredient deleterious or injurious to health in the bottling of country spirit.
8. Cartons containing country spirit shall be arranged, stocked and stacked labelwise and bottle-size-wise separate from one another.
9. The licensee shall leave an accessible passage free of packages containing country spirit in the middle as well as along the walls of the store rooms to facilitate free movements and verification of the stock.
10. The licensee shall maintain day to day labelwise true account of country spirit bottled and sold.
11. The licensee shall be bound by all the General Licence conditions except condition II, VIII, XIV, XVI, XXV, XXVI, XXVII, XXIX and XXXII.
12. On breach of any condition of this licence or provision of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or rules made thereunder or order issued by the Excise Commissioner, the licence may be cancelled or suspended by the Licensing Authority.

Date :
Place

Excise Commissioner
Madhya Pradesh.

SCHEDULE

| DESCRIPTION OF SITE (1) | Boundaries of the Licensed Premises | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | North (2) | East (3) | South (4) | West (5) |
| | | | | |

Excise Commissioner
Madhya Pradesh.

FORM-C.S. 1-C
(Outside Manufacturer's Central Godown License)

Under rule 9(2) (b) of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in consideration of a licence fee of Rs..... (in words) which has already been paid, licence is hereby granted to..... to supply and sell bottle country spirit in wholesale from the licensed premises at, as described in the Schedule-1 below and situated in town ofDistrict from to subject to the following conditions.

CONDITIONS

- 1 The licensee shall procure his requirements by import only.

2. Under this licence only those labels or brands of country spirit shall be imported which have been manufactured and bottle outside Madhya Pradesh by the licensee himself and which have been registered with the Excise Commissioner, Madhya Pradesh under rule 3-F of these rules.
3. The licensee shall supply his stock to a country spirit warehouse only.
4. He shall import country spirit manufactured by him, after payment of the prescribed import fee.
5. The licensee shall preserve all the permits and invoices of stocks imported in proper order and produce them before the inspecting authorities.
6. Cartons containing country spirit shall be arranged, stocked and stacked, label wise bottle-size-wise, separate from one another.
7. The licensee shall leave an accessible passage free of packages containing country spirit in the middle as well as along the walls of the store room to facilitate free movement and verification of the stock.
8. The licensee shall conduct business from the licensed premises only. No addition to or alteration in the premises is allowed without the prior written permission of the Excise Commissioner.
9. The licensee shall maintain day to day label wise and bottle-size-wise true account of all country spirit imported, stocked and supplied.
10. The licensee shall be bound by all the General Licence Conditions except conditions II, X, XIV, XVI, XXV, XXVI, XXVII and XXXII.
11. On breach of any condition of this licence or provision of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or rule made thereunder or order issued by the Excise Commissioner, this licence may be cancelled or suspended by the licensing authority.

Date :

Place

Excise Commissioner
Madhya Pradesh.

SCHEDULE-I

| Description of site | Boundaries of the Licensed Premises | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------|-------|------|
| | North | East | South | West |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

SCHEDULE-II

| No. | Full particulars alongwith complete address of the manufacturer/bottler | The nature of license held by such manufacturer/bottler | The province in which he holds the licence mentioned in column (2) |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Excise Commissioner
Madhya Pradesh".

6. After Form C. S. 7, the following Form shall be inserted, namely :—

“FORM C. S. 8
(See rule 7)

No.

Date

NO OBJECTION CERTIFICATE
[In Triplicate]

Ist Part : (To be retained in the office of issue)
IInd Part : (To be mailed to the authority who may authorize the export)
IIIrd Part : (To be handed over to the applicant)

To,

.....
.....

Subject.—No objection certificate for importing Country Spirit or Rectified Spirit for Country Spirit manufacture without payment of duty.

Shri holder of C.S. 1-C/C.S. 1-B licence ofdistrict, M. P. intends to import.....proof/bulk liters of Country Spirit/Rectified Spirit fromholder oflicence in your district and has paid Rs.by Challan No. datedas import fee on the quantity. This office has no objection in an export permit for the same is issued by you. This N. O. C. shall be valid upto

Assistant Excise Commissioner/
District Excise Officer
..... (M.P.)”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. Yadav, Addl. Secy.